न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी डूंगरपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी **दीपक मेहता**, आर.ए.एस.

प्रकरण सं – 100/15 **दायर दिनांक 16/11/2015**

निर्णय दिनांक 26/03/2018

1–श्री जवाहरलाल पिता धुला कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
2–श्री मनजी पिता धुला कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
3–श्री हिरालाल पिता धुला कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

–– वादीगण

बनाम

1–श्री लालुराम पिता थावरा कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
2–श्री जयनारायण पिता थावरा कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
3–श्रीविश्वकृष्ण पिता लालुराम कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
4–श्री सुरेश पिता लालुराम कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
5–श्री अनिल पिता सुन्दरलाल कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
6–श्री अमृतलाल पिता जयनारायण कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
7–श्री सीताराम पिता जयनारायण कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
8–श्री मति कमला पत्नि सुन्दरलाल कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
9–श्री मति निरमा पत्नि सुरेश कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
10–श्रीमति नवली पत्नि जयनारायण कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर
11–श्री राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1– श्री विनोद शर्मा वकील –वादीगण

2– श्री भूरीलाल डामोर वकील – प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजीयात मौजा पाल माथुगामडा पटवार हल्का तहसील व जिला डूंगरपुर मे स्थिती है। आराजीयात का विवरण क्रमशः 56, 288, 385, 425, 878, 880, 1088, 1089, 6884/31, 6885/31, 7007/367 एवं 7038/16 मे क्रमशः रकबा 1.07, 0.05, 0.05, 0.05, 0.17, 0.07, 0.12, 0.13, 3.00, 6.00, 0.19 एवं 3.00 कुल किता खसरा 12 कुल क्षेत्रफल 17.10 बीघा कृषि भूमि पर वादीगण शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। गत वर्ष वादी ने मक्की व उडद की फसल बोई है। फसल की पशुओ से रक्षा के लिए बाड लगाई एवं मकान बनाया है। वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबध नही है फिर भी प्रतिवादीगण दिनांक 15/10/2015

को वादीगण के खेत मे आ गये तथा वादीगण अपने उक्त खसरे मे स्थित खेतो मे काम रूकवा दिया तथा कहने लगे की ये जमीन हमारी है अब तुमको इसमे खेती नही करने देगे फसल लगाई है उसमे पशु चरा देगे फसल काटकर ले गये तो जिन्दा नही छोडेगे, मकान बना दिया तो मकान गिरा देगे तथा तुमको चैन नही रहने देगे प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की कृषि भूमि मे प्रवेश कर तरह तरह से परेशान कर रहे एवं धमकी दे रहे है। इनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के हिस्से, कब्जे काश्त एवं खाते की आराजीयात मे प्रवेश नही करे तथा वादीगण को फसल बोने, काटने, बाढ लगाने, मकान बनाने एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे।

वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15/10/2015 को वादीगण के उक्त खेत मे आ गये तथा वादीगण के खेतो मे काम कर रहे थे जिसे रूकवा दिया तथा कहने लगे कि यह जमीन हमारी है अब तुमको इसमे खेती नही करने देगे फसल लगाई तो पशु चरा देगे ये फसल कटाकर ले गये तो जिन्दा नही छोडेगे। प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के कृषि भूमि मे प्रवेश कर परेशान करने से वादकारण उत्पन्न हुआ है तथा लगातर उत्पन्न हो रहा है।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय मे तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया। जबाबदावा अस्वीकारोक्ति का होने से तनकी कायम की गई। तनकी निम्न प्रकार है

1– आया वादग्रस्त भूमि मौजा माथुगामडा पाल मौजा धुमणिया मे वादीगण के खाते की भूमि जमाबंदी संवत् 2069–72 रकबा 17.10 बीघा भूमि का वादीगण संयुक्त खातेदार हिस्से व कब्जे मे होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है?–वादीगण

2– आया विवादग्रस्त मौजा धुमाणिया की आराजी 6884/31 एवं 6885/31 रकबा क्रमशः 3 बीघा एवं 6 बीघा पर का प्रतिवादीगण का ही बाप दादओ के समय से काश्त करते आ रहे है। कब्जे के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है – प्रतिवादीगण

साक्ष्य वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य मे शपथ–पत्र जवाहरलाल/धुला पीडब्लयू–1, मनजी/धुला पीडब्लयू–2 हिरालाल/धुला पीडब्लयू–3 पेश किये गये जिन पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह कर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे जयनारायण/थावरा डीडब्लयू–1, अमृतलाल/जयनारायण डीडब्लयू–2 एवं विश्वकृष्ण/लालूराम डीडब्लयू–3 शपथ–पत्र पेश हूए जिन पर वकील वादी द्वारा जिरह पूर्ण कर साक्ष्य समाप्त की गई। दौराने वाद विवादग्रस्त भूमि का मौका रिपोर्ट भी प्राप्त की गई जो सलंग्न फाईल है।

हमने वकुलाय फरिकेन के विद्ववान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। वकील वादी नें वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं भूमि पर उनका कब्जा काश्त है, इस पर प्रतिवादीगण प्रवेश कर तरह–तरह से परेशान कर रहे एवं धमकिया दे रहे है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से उनको पाबन्द किया किया जावे। वकील अप्रार्थी ने बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि के साथ खातेदारों में से तीन

खातेदारो द्वारा ही वाद लाया गया है। वादग्रस्त आराजी में से आराजी नं0 6884/31 एवं 6885/31 पर प्रतिवादी गण ही अपने बाप दादाओं के समय से काश्त करते आ रहे है ओर आज भी काबिज है। वकील प्रतिवादीगण ने आगे बताया कि स्वंय वादी गण ने अपने बयान की जीरह में बताया कि कोन किस खसरे पर बैठा है इसका उनको पता नही है। मौके पर कोई बाढ/बाउन्ट्री नही है। वकील प्रतिवादी ने आगे जबाव में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षत किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1– आया वादग्रस्त भूमि मौजा माथुगामडा पाल मौजा धुमणिया मे वादीगण के खाते की भूमि जमाबंदी संवत् 2069–72 रकबा 17.10 बीघा भूमि का वादीगण संयुक्त खातेदार हिस्से व कब्जेमे होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है? –वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादिगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम धूमणिया पटवार हल्का पाल माथुगामडा की जमाबंदी संवत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति के अनुसार खाता न. 89 नया 15 खसरा नं0 56 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 268 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 385 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 425 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 878 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 880 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 1088 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 1089 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 6884/31 रकबा 03 बीघा, ख0नं0 6885/31 रकबा 06 बीघा, ख0नं0 7007/367 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 7038/16 रकबा 03 बीघा कुल किता 12 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा के वादीगण एवं उनकी बहने तथा माता सहखातेदार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं गवाहान वादीगण के बयान अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण काबिज है।

पटवारी रिपोर्ट मौका पर्चा अनुसार– मौके पर खसरा न 56 रकबा 1 बीघा 7 बीस्वा श्री जवाहरलाल पिता धुला के कब्जे मे है एवं वर्तमान मे काश्त कर रहा है। खसरा न 268 रकबा 5 बीस्वा खसरा 385 रकबा 5 बीस्वा खसरा 425 रकबा 5 बीस्वा खसरा न 1088 रकबा 12 बीस्वा खसरा 1089 रकबा 13 बीस्वा खसरा 878 रकबा 17 बीस्वा खसरा न 880 7 बीस्वा का सम्पूर्ण रकबा तलबा मे जलमग्न है। खसरा न 6884/31 रकबा 3 बीघा खसरा न 6885/31 रकबा 6 बीघा खसरा न 7007/367 रकबा 19 बीस्वा खसरा न 7038/16 रकबा 3 बीघा एलोटमेटी है। नक्शा लठठा कटा फटा व जीर्णशीर्ण होने से तथा आस पास कोई सेटलमैन्टी पोईट नही होने से मौका जांच संभव नही है।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में खसरा न 6884/31 रकबा 3 बीघा खसरा न 6885/31 रकबा 6 बीघा पर बाप–दादाओं के समय से कब्जा होना बताया है किन्तु कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किये गये है।

उपर्युक्त आधार से इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

2– आया विवादग्रस्त मौजा धुमाणिया की आराजी 6884/31 एवं 6885/31 रकबा क्रमशः 3 बीघा एवं 6 बीघा पर का प्रतिवादीगण का ही बाप दादओ के समय से काश्त करते आ रहे है। कब्जे के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है – प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के अनुसार आराजी 6884/31 एवं 6885/31 रकबा क्रमशः 3 बीघा एवं 6 बीघा पर का प्रतिवादीगण का ही बाप दादओ के समय से काश्त करते आ रहे है। किन्तु वादीगण द्वारा उक्त आराजियात पर कब्जा होने के संबंध में कोई लिखित साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। स्वंय प्रतिवादी अमृतलाल ने अपने बयान की जिरह में इस बात को स्वीकार किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त दोनो खसरे एलोटमेन्टी है। इस प्रकार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम धूमणिया पटवार हल्का पाल माथुगामडा की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खाता न. 89 नया 15 खसरा नं0 56 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 268 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 385 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 425 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 878 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 880 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 1088 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 1089 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 6884/31 रकबा 03 बीघा, ख0नं0 6885/31 रकबा 06 बीघा, ख0नं0 7007/367 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 7038/16 रकबा 03 बीघा कुल किता 12 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण प्रवेश नही करे वादीगण को उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न करे एवं न ही किसी अन्य से करवाये । निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **26.03.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर (राजस्थान)

बईजलास – **दीपक मेहता – आर0ए0एस0**

1–श्री जवाहरलाल पिता धुला कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

2–श्री मनजी पिता धुला कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

3–श्री हिरालाल पिता धुला कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

—— वादीगण

बनाम

1–श्री लालुराम पिता थावरा कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

2–श्री जयनारायण पिता थावरा कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

3–श्रीविश्वकृष्ण पिता लालुराम कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

4–श्री सुरेश पिता लालुराम कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

5–श्री अनिल पिता सुन्दरलाल कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

6–श्री अमृतलाल पिता जयनारायण कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

7–श्री सीताराम पिता जयनारायण कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

8–श्री मति कमला पत्नि सुन्दरलाल कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

9–श्री मति निरमा पत्नि सुरेश कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

10–श्रीमति नवली पत्नि जयनारायण कटारा निवासी माथुगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर

11–श्री राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू **दीपक मेहता, आर0ए0एस0** ब हाजरी श्री विनोद शर्मा वकील मिनजानिब मुद्दई व श्री भूरीलाल डामोर वकील मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार कर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम धूमणिया पटवार हल्का पाल माथुगामडा की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खाता न. 89 नया 15 खसरा नं0 56 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 268 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 385 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 425 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 878 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 880 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 1088 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 1089 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 6884/31 रकबा 03 बीघा, ख0नं0 6885/31 रकबा 06 बीघा, ख0नं0 7007/367 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 7038/16 रकबा 03 बीघा कुल किता 12 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण प्रवेश नही करे वादीगण को उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न करे एवं न ही किसी अन्य से करवाये।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/03/2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

मुद्दई	रूपया / पैसा	मुद्दायला	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालनामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		मेहनताना वकील	
फीस कमीश्नर		फीस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
बाबत इजराय		मुतफरीक	
मुतफरीक			
मिजान			

मुहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर